



CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles [Govt. of India]

No.CSB-22(147)/2012-13/GSLIS-BILLS

06.04.2015

“By Speed Post”

CIRCULAR

Sub: Enrollment of employees under GSLIS (Scheme) – reg.

It is to inform that in accordance with an intimation received from the concerned authority of LIC, Bangalore, wherein it is stated that enrollment of new employees is not allowed to the existing GSLIS (Scheme) as per the Insurance Regulatory and Development Authority w.e.f. 29.11.2013. In spite of non-inclusion in appointment order some of the units are deducting towards GSLIS subscription. As such, GSLIS subscription may not be deducted from the employee appointed w.e.f Dec.,2013, until further orders.


(CA C.B.PRABHAKAR GUPTA)
JOINT DIRECTOR [FINANCE]

TO

All CSB Delegated units.



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

सं. केरेबो-22(147)/2012-13/जीएसएलआईएस-बिल्स

दिनांक : 06.04.2015

परिपत्र

विषय : जीएसएलआईएस (योजना) के अंतर्गत कर्मचारियों का नामांकन के संबंध में ।

यह सूचित करना है कि एल आई सी, बंगलूरु के संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त सूचना जिसमें यह बताया गया है कि 29.11.2013 से बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकरण के अनुसार विद्यमान जी एस एल आई एस (योजना) में नये कर्मचारियों का नामांकन के लिए अनुमति नहीं दी गई है । नियुक्ति आदेश में शामिल नहीं करने के बावजूद, कुछ इकाईयों में जी एस एस आई सी चंदाशुल्क के प्रति कटौती कर रहा है । अतः अगले आदेश मिलने तक, दिसंबर 2013 से नियुक्त कर्मचारियों से जी एस एल आई एस चंदाशुल्क की कटौती न करें ।



[सी.ए. सी. बी. प्रभाकर गुप्ता]

संयुक्त निदेशक [वित्त]

सेवा में